भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2523
जिसका उत्तर गुरुवार, 10 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

मुकदमेबाजी की लागत को कम करने के लिए योजना

2523. श्रीमती फूलो देवी नेतम :

क्या **विधि और न्यायमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और विभिन्न जिला न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में कितने मामले लंबित हैं;

(ख) क्या सरकार ने देश के उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और विभिन्न जिला न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में पिछले संचित मामलों को कम करने के लिए कोई पहल की है; और

(ग) क्या सरकार के पास आम/गरीब लोगों के लिए मुकदमेबाजी की लागत को कम करने की कोई योजना है और पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कुल कितनी राशि खर्च की गई ?

उत्तर
विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध आंकड़ों, विधि कार्य विभाग और भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदान किए गए इनपुट के अनुसार, आज की तारीख में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और विभिन्न जिला न्यायालयों और अधिकरणों में लंबित मामलों की संख्या, इस प्रकार हैं:-

क्र.सं.	न्यायालय/अधिकरण का नाम	लंबित मामलों की संख्या
1	भारत का उच्चतम न्यायालय	69,243 (31.07.2023)*
2	उच्च न्यायालय	60,63,499 (08.08.2023)**
3	जिला और अधीनस्थ न्यायालय	4,44,00,820 (08.08.2023)**
4	अधिकरण	2,62,611 (18.07.2023)***

स्रोत * भारत का उच्चतम न्यायालय । **राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) । *** विधि विभाग ।

(ख) : जबकि मामलों का निपटान न्यायपालिका के विशेष क्षेत्र में है और केंद्रीय सरकार की इस मामले में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है, सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार मामलों के शीघ्र

निपटान और लंबित मामलों को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है । राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की स्थापना अगस्त, 2011 में प्रणाली में विलंब और बकाया में कमी करके पहुंच में वृद्धि करने और निष्पादन मानकों और क्षमताओं को स्थापित करने के द्वारा और संरचना परिवर्तन के माध्यम से जवाबदेहीता को बढाने के दोहरे उद्देश्यों के साथ की गई थी । पिछले कुछ वर्षों में, मिशन न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध समापन के लिए एक समन्वय दृष्टिकोण का अनुसरण कर रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ, न्यायालयों की बेहतर अवसंरचना अंतर्वलित है जिसके अंतर्गत कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की पद संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेंबाजी वाले क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय, मामलों के शीघ्र निपटान के लिए न्यायिक प्रक्रिया का पुर्नगठन और मानव संसाधन विकास पर जोर देना भी सम्मिलित है । न्यायपालिका द्वारा मामलों के त्वरित निपटान के लिए एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए न्याय विभाग द्वारा की गई पहल का विवरण इस प्रकार है:

न्यायिक अवसंरचना के केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के अधीन, न्यायालय हालों, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टर, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसरों और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के निर्माण के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को निधियाँ जारी की जा रहा हैं, जिससे वकीलों और वादियों के जीवन में आसानी होगी, जिसके द्वारा न्याय परिदान करने में सहायता करना है । आज की तारीख के अनुसार, 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) की शुरुआत के बाद से 10035 करोड़ रुपए जारी किए गए है। इस स्कीम के अधीन न्यायालय हालों की संख्या 30.06.2014 को 15,818 से बढ़कर 30.06.2023 को 21,365 हो गई है, और आवासीय इकाइयों की संख्या 30.06.2014 को 10,211 से बढ़कर 30.06.2023 को 18,846 हो गई है ।

इसके अतिरिक्त, ई-न्यायालय मिशन मोड परिस्कीम के अधीन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की आईटी सक्षमता के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाया गया है । कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या अब तक बढ़कर 18,735 हो गई है । 99.4% न्यायालय परिसरों में वैन संयोजकता प्रदान की गई है । वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा 3,240 न्यायालय परिसरों और 1,272 संबंधित जेलों के बीच सक्षम की गई है। 815 ई-सेवा केंद्र न्यायालय परिसरों में स्थापित किए गए हैं जिससे वकीलों और वादकारियों को मामले की स्थिति, निर्णय/आदेश प्राप्त करने, न्यायालय/मामले से संबंधित जानकारी और ई-फाइलिंग सुविधाओं से संबंधित सहायता की आवश्यकता हो। 18 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में 22 वर्चुअल न्यायालय स्थापित किए गए हैं । 31.05.2023 तक, इन न्यायालयों ने 3.113 करोड़ रुपए से अधिक मामलों को संभाला है और 408 करोड़ रुपए से अधिक के जुर्माना की वसूली की है । ई-न्यायालय का चरण 3 शुरू होने वाला है, जो सभी हितधारकों के लिए न्याय वितरण को अधिक मजबूत, आसान और सुलभ बनाने के लिए नवीनतम तकनीक जैसे कृतिम आसूचना (एआई) और ब्लॉक चेन को शामिल करने का आशय रखता है ।

सरकार नियमित रूप से उच्च न्यायपालिका में रिक्तियों को भरती रही है । 01.05.2014 से 10.07.2023 तक उच्चतम न्यायालय में 56 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई थी । उच्च न्यायालयों में 919 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए तथा 653 अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी किए गए । मई 2014 में उच्च न्यायालयों की स्वीकृत संख्या 906 से वर्तमान में बढ़कर 1114 हो गई । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या में निम्नानुसार वृद्धि की गई है :

निम्नलिखित तारीख तक	स्वीकृत संख्या	कार्यरत पद संख्या
31.12.2013	19,518	15,115
07.08.2023	25,254	19846

तथापि,अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों का भरा जाना संबद्ध राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर आता है ।

अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, पांच वर्ष से अधिक लंबित मामलों को निपटाने के लिए 25 उच्च न्यायालय समितियां स्थापित की गई हैं । जिला न्यायाधीशों के अधीन भी बकाया मामला समितियों की स्थापना की गई है ।

चौदहवें वित्त आयोग के तत्वावधान में, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बालकों आदि से जुड़े मामले के लिए सरकार ने जघन्य अपराधों के मामलों से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक न्यायालय की स्थापना की है । 31.05.2023 तक, जघन्य अपराधों, महिलाओं और बालकों के खिलाफ अपराधों आदि के लिए 832 फास्ट ट्रैक न्यायालय कार्यरत हैं।निर्वाचित सांसदों/विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए, नौ (9) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में दस (10) विशेष अदालतें कार्यरत हैं । इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार ने आईपीसी के अधीन बलात्संग के लंबित मामलों और पॉक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के शीघ्र निपटान के लिए देश भर में 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल न्यायालय (एफटीएससी) स्थापित करने की स्कीम को मंजूरी दे दी है । आज तक, 28 राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों इस स्कीम में शामिल हो चुके हैं ।

लंबित मामलों को कम करने तथा न्यायालयों को उससे मुक्त करने के विचार से सरकार ने हाल ही में विभिन्न विधियों जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 में संशोधन किया गया है ।

वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों का पूरे मनोयोग से संवर्धन किया गया है । तद्नुसार, तारीख 20 अगस्त, 2018 को संशोधित वाणिज्यिक विवादों के बाध्यकारी पूर्व मध्यकता और निपटारे के लिए वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 का संशोधन किया गया है । विहित की गई समय-सीमा द्वारा विवादों के शीघ्र समाधान को तेज करने के लिए माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 के द्वारा माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन किए गए है ।

लोक अदालत सामान्य लोगों के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है । यह एक ऐसा मंच है जहां न्यायालय या पूर्व-मुकदमेबाजी के स्तर पर लंबित विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा/समझौता किया जाता है । विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन, लोक अदालत द्वारा किए गए एक पंचाट को एक सिविल न्यायालय की डिक्री माना जाता है और यह सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होता है और किसी भी अदालत के समक्ष इसके खिलाफ कोई अपील नहीं होती है । लोक अदालत कोई स्थायी स्थापना नहीं है । राष्ट्रीय लोक अदालतें सभी तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में एक पूर्व निर्धारित तारीख पर एक साथ आयोजित की जाती हैं । पिछले तीन वर्षों के दौरान लोक न्यायालयों में निपटान किए गए मामलों का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	पूर्व-मुकदमेबाजी मामले	लंबित मामले	सकल योग

2021	72,06,294	55,81,743	1,27,88,037
2022	3,10,15,215	1,09,10,795	4,19,26,010
2023 (17.06.2023 तक)	3,00,11,291	61,88,686	3,61,99,977
कुल	**6,82,32,800**	**2,26,81,224**	**9,09,14,024**

सरकार ने 2017 में टेली-लॉ कार्यक्रम शुरू किया, जो ग्राम पंचायत में और टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से सामान्य सेवा केंद्रों (सामान्य सेवा केंद्र) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं के माध्यम से विधिक सलाह और पैनल वकीलों के साथ परामर्श की मांग करने वाले जरूरतमंद और वंचित वर्गों को जोड़ने वाला एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफेस प्लेटफॉर्म प्रदान करता है ।

***टेली-लॉ डेटा का प्रतिशतवार ब्यौरा**

28 फरवरी, 2023 तक	**रजिस्ट्रीकृत मामले दर्ज**	**% वार ब्यौरा**	**सलाह सक्षम की गई**	**% वार ब्यौरा**
लिंग वार				
महिला	15,75,140	34.38	15,35,775	34.39
पुरुष	30,06,772	65.62	29,30,601	65.61
जाति श्रेणी वार				
सामान्य	9,82,636	21.45	9,52,773	21.33
ओबीसी	13,28,505	28.99	12,93,153	28.95
एससी	14,88,971	32.50	14,53,283	32.54
एसटी	7,81,800	17.065	7,67,167	17.18
कुल	**45,81,912**		**44,66,376**	

देश में प्रो बोनो संस्कृति और प्रो बोनो वकालत को संस्थिकरण करने के लिए प्रयास किए गए हैं । प्रौद्योगिकीय कार्य ढांचा को कार्यान्वित किया गया है जहां प्रो बोनो कार्य के लिए अधिवक्ता अपना समय और सेवाएं प्रदान करने के लिए इच्छुक हैं वहां वे न्याय बंधु (एन्ड्राइड एन्ड आईओएस और एप्स) पर प्रो बोनो अधिवक्ता के रूप में रजिस्टर कर सकते हैं । न्याय बंधु सेवाएं भी यूएमएएनजी प्लेटफार्म पर उपलब्ध हैं । अधिवक्ताओं का प्रो बोनो पैनल राज्य स्तर पर 22 उच्च न्यायालयों में आरंभ किया गया है । उदयीमान वकीलों में प्रो बोनो संस्कृति को उनके मन बैठाने के लिए प्रो बोनो क्लब 69 चयनित विधि विद्यालयों में आरंभ किए गए हैं ।

(ग) : यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि किसी भी नागरिक को आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय पाने के अवसरों से वंचित नहीं किया जाए, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों सहित समाज के कमजोर वर्गों को सक्षम विधिक सेवाएं नि:शुल्क और न्याय प्रदान किया जा सके ।

पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान विधिक सहायता क्रियाकलापों के लिए एनएएलएसए को प्रदान किए गए अनुदान-सहायता (जीआईए) का विवरण इस प्रकार है:-

(करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	जीआईए आवंटित
1	2018-19	150
2	2019-20	140
3	2022-21	100
4	2021-22	145
5	2022-23	190

****